शरणार्थियों का अपना घर छोड़कर तमिलनाडु से कर्णाटक तथा कर्णाटक से तमिलनाडु भागना

280. **श्री वी० गोपालस्वामी :**
श्री डिंडीवनम जी० वेंकटरामन :
श्री एम० विनसेंट :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी जल विवाद के कारण भड़की हिंसा के कारण अपना घर छोड़कर तमिलनाडु से कर्णाटक तथा कर्णाटक से तमिलनाडु भागने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कर्णाटक तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाये गये शिविरों में एक लाख से अधिक तमिलों ने अपना पंजीकरण करवाया कर्णाटक सरकार द्वारा स्थापित शिविरों में 5500 से अधिक कन्नड़ियों ने पंजीकरण कराया

(ख) जी हां, श्रीमान् कर्णाटक सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में राज्य में हो रही घटनाओं के ब्यौरे दिये गये हैं। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में शिकायत की गई है कि कर्णाटक सरकार ने समय पर तमिल लोगों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि सामान्य स्थिति इत्यादि की बहाली के लिये कर्णाटक सरकार को उचित अनुदेश दिये जायें।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। अतः कानून और व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाये रखती है तथा स्थिति का निरन्तर प्रबोधन करती है तथा उसकी समीक्षा करती है। जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को उचित सहायता दी जाती है।

पुलिस महानिदेशक, श्रीनगर के कार्यालय में बम विस्फोट

290. **श्री जगमोहन :**
श्री वीरेन जे० शाह :
श्री राघवजी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जनवरी, 1992 को श्रीनगर में पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में बम विस्फोट हुआ, जिसमें पांच वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुये ;

(ख) क्या मामले की कोई छानबीन कराई गई है; यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है और क्या अभी तक किसी सुराग का पता चला है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(घ) आंतरिक तोड़-फोड़ के बढ़ते हुये संकट को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) 24 जनवरी, 1992 को श्रीनगर के पुलिस मुख्यालय में बम फटने और उसके परिणामस्वरूप आग लगने से इस घटना में एक कांस्टेबल मारा गया

ज बकि पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर, अपर-महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिरीक्षक, जम्मू एव कश्मीर पुलिस, उप-महानिरीक्षक, कश्मीर रेंज, जम्मू एव कश्मीर पुलिस और एक अन्य कांस्टेबल बम के टुकड़ों के लगने और जलने से घायल हो गये। थाना शहीद गंज जिला श्रीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 10/92 दिनांक 24-1-1992 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

सरकार ने आतकवादियों पर पहले ही दबाव बढ़ा दिया है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आसूचना अभियानों को अधिक तेज कर दिया गया है ।

integrated plan to Combat Terrorism

291. SHRI BEKAL UTSAHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out an integrated plan to combat terrorism all over the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) and (b) 'Public Order' being the State subject, it is for the State Governments to devise various methods and take concrete steps to improve law and order situation. At the Central Lvel action is taken to facilitate coordination of the anti-terrorist operations of different states and to improve flow of information useful for control of terrorist activities among the States. All possible assistance if being provided to the State Governments when required in this regard.

Naxalite Menace

292. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for setting up of a nodal agency with headquarters at Hyderabad for tackling the Naxalite menance in Andhra Pradesh, Madhhya Pradesh, Maharashtra, Bihar and Orissa ;

(b) if so, what are the details of its constitution and functions ;

(c) the steps Government have taken so far in this regard ; and

(d) the success achieved so far in tackling the Naxalite menace in terms of rounding up, securing surrenders and eliminating the Naxalites and their hide-outs ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) No, Sir.

(b) to (d) A meeting was taken by the Home Minister on 3rd August, 1991 in which the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar and Orissa took part. In the discussions that followed, it was inter-alia agreed that the State Govts, would prepare action plans incorporating maintenance of law and order and also developmental measures which are necessary to tackle this problem. Since the naxalite affected rogions of Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh and Orissa are contiguous, it was felt that steps should be taken to coordinate the anti-naxalite measures of these four States. Towards this end, follow-up official level meetings of the four States have been held and decisions taken in regard to the coordination of police action, and developmental and administrative measures. Available reports indicate that the strong and sustained administrative action as well as increased police activity in the affected areas are producing results.

Inclusion of representatives of SC/ST and mionrities in sellection committees/ Boards

293. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether instructions issued by Government in August, 1990 for inclusion of representatives of SC/ST and Minorities in the Selection Committees/ Boards have been implemented by his Ministry ;

(b) if so, what are the details of such bodies and organisations under his Ministry where the instructions have been implemented ;

(c) what are the names of the Committees/Boards where the instructions have